न्यायालय जिला कलक्टर अलवर जिला अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/158/2024	2024/271	22.11.2024	27.02.2025

1. सूरजमल शर्मा पुत्र स्व0 श्री रेवडराम पटेल (पॉस कोड संख्या 12606), उचित मूल्य दुकानदार 1/4 भाग, ग्राम पंचायत रैणी, तहसील रैणी, जिला अलवर राज0।

—अपीलान्ट

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, अलवर राज0।

—रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध प्रकरण संख्या 14/2023 निर्णय दिनांक 06.07.2023 जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र सं0 1351/2005 पोस कोड सं0 12606 विधि विरूद्ध तरीके से निरस्त किया।

उपस्थितः—

01—श्री श्योराम सिंह नरूका —वकील अपीलांट

02—श्री अशोक कुमार —विभागीय पैरोकार

—:निर्णय:—

जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा दिनांक 06.07.2023 को निर्णय पारित कर अपीलांट की उचित मूल्य दुकानदार 1/4 भाग, ग्राम पंचायत रैणी, तहसील रैणी, पॉस कोड संख्या 12606 का प्राधिकार पत्र संख्या 1351/2005 तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है, से व्यथित होकर उक्त अपील प्रस्तुत गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांटान द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अपील हाजा मातहत जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.7.2023 के विरूद्ध पेश की जा रही है, जिसकी सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को 20.9.2024 को माननीय न्यायालय में विचाराधीन अपील बअनुवान सूरजमल शर्मा बनाम् जिला रसद अधिकारी में उस समय हुई कि जब जिला रसद अधिकारी अलवर की पत्रावली में अपीलान्ट के प्राधिकार को निरस्त करने बाबत आलोच्य निर्णय दिनांक 06.7.2023 की प्रति संलग्न थी, जिस पर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 20.9.2024 'को ही आलोच्य निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पेश किया जिस पर नकल दिनांक 24.9.2024 को बनकर प्राप्त हुई जिससे अपील हाजा बिना किसी देरी के अन्दर अवधि पेश है। आलोच्य निर्णय दिनांक 06.7.2023 से सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.9.2024 तक का समय लाईल्मी होने के कारण कण्डोन फरमाए जाने योग्य है जिस वास्ते रफाये हुज्जत पृथक से दफा 5 कानून म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। मातहत अधिकारी के द्वारा आलोच्य एकपक्षीय निर्णय दिनांक 06.7.2023 को आधार प्रवर्तन निरीक्षक श्री दिनेश चौबे के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 09.3.2023 जिसके मिन अपीलान्ट को जेल में निरूद्ध किया जाना एवं उक्त का प्रकाशन समाचार पत्र में होने को बनाया गया है, जिस रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 09.3.2023 को विभागीय प्रकरण सं. 14 दर्ज किया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र आदेश क्रमांक रसद/2023/529 दिनांक

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

09.3.2023 से तुरन्त प्रभाव से निलंबित किया गया, जिस निलंबन आदेश की प्रति अपीलान्ट को आज तक प्रदान नहीं की गई है और अपीलान्ट को प्रकरण सं. 14 में सुनवाई का अवसर दिए बिना एकतरफा में अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलंबन किया जाकर दिनांक 06.7.2023 को एकपक्षीय रूप में निरस्त किया गया है, जिसमें विधि के सुस्थापित सिद्वान्तों की खूले रूप में अवहेलना की गई है।

अपीलान्ट द्वारा अपने प्राधिकार पत्र सं. 1351/2005 की बाबत उचित मूल्य सामग्री के उठाव व वितरण चालू करने के अनुतोष वास्ते माननीय न्यायालय के समक्ष अपील बअनुवान सूरजमल शर्मा बनाम् जिला रसद अधिकारी दिनांक 12.5.2022 को पूर्ण वजुहात के साथ माननीय न्यायालय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर के द्वारा पुनरीक्षण याचिका सं. 81/2019 में पारित निर्णय दिनांक 13.04.2022 के अनुसरण में पेश की गई थी, जिसके विचारण के दौरान मनमाने रूप से प्रकरण सं. 14/2023 निर्णित कर एकपक्षीय रूप में अपीलान्ट को उक्त प्रकरण की जानकारी दिए बिना, अपीलान्ट के विरूद्व एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है, जो कि अपास्त व अभिखण्डित फरमाए जाने योग्य है। आलोच्य निर्णय दिनांक 06.7.2023 जो कि नवीन प्रकरण सं. 14/2023 में मातहत अधिकारी द्वारा पारित किया गया है, से पूर्व कोई निलम्बन आदेश की सूचना, कोई कारण बताओ नोटिस, आरोप पत्र आदि अपीलान्ट को मातहत अधिकारी के द्वारा नहीं दिया गया है, ना ही समुचित सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का मौका दिया गया है, एकपक्षीय रूप से आदेश दिनांक 09.3.2023 पारित कर प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया एवं उसके पश्चात एकपक्षीय रूप से ही अपीलान्ट को बिना सुने बिना साक्ष्य का मौका दिनांक 06.7.2023 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त फरमाया गया है, जो निर्णय उक्त आधार पर अपास्त व अभिखण्डित फरमाए जाने योग्य है।

अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 09.3.2023 को एकपक्षीय रूप से निलंबित किया गया था जो कि 90 दिवस में स्वतः ही विधिक रूप से बहाल होना चाहिए था। केवल 90 दिन तक ही प्राधिकार पत्र को निलम्बित रखा जा सकता है, 90 दिवस के अन्दर प्राधिकार पत्र की जांच का फैसला करना होता है, 90 दिवस के उपरान्त स्वतः ही प्राधिकार पत्र बहाल हो जाता है। जैसा कि श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 02.09.2008 एवं 07.07.2009 में दिशा निर्देश दिये हुए है। Raj- Foodgrains & Other Ess. Art. (Regu- of District) Order 1976 के सैक्टर 8 के क्लॉज 2 के अनुसार "No order of cancellation shall be made under this order unless the authorization holder has been given a reasonable opportunity of stating his case against the proposed cancellation but during the pendency or in contemplation of proceedings of cancellation of authorization, the authorization can be suspended for a period not exceeding 90 days without giving any opportunity to the authorization holder of stating his case."

अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 09.3.2023 को निलंबित किया गया था, उससे पूर्व ही मातहत जिला रसद अधिकारी अलवर के द्वारा दिनांक 06.5.2022 तक ही उचित मूल्य सामग्री के उठाव एवं वितरण का कार्य करवाया गया था एवं उसके पश्चात माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसरण में दिनांक 01.1.2023 से 15.2.2023 तक उचित मूल्य सामग्री का वितरण करवाया गया। अपीलान्ट दिनांक 16.2.2023 से 23.2.2023 तक स्वय के साथ घटित आपराधिक घटना में घायल होने के चलते सरकारी अस्पताल, अलवर में भर्ती रहा, जिस अवधि के दौरान मिन अपीलान्ट की अनुपस्थिति में प्रवर्तन निरीक्षक श्री दिनेश चौबे के द्वारा दिनांक 21.2.2023 को अपीलान्ट की उचित मूल्य की दुकान कि जिसमें 123.58 क्वि. गेहूं मौजूद था, को सील कर दिया। उक्त के पश्चात अपीलान्ट के द्वारा कोई उचित मूल्य सामग्री का उठाव एवं वितरण नहीं किया गया अपितू मातहत अधिकारी के आदेशों के तहत अटेचमेन्ट डीलर शिवशंकर व तदोपरान्त प्रवीण सैन के द्वारा अपीलान्ट की पोस मशीन सं. 12606 के जरिये उचित मूल्या सामग्री का उठाव व वितरण करते चले आ रहे है। परन्तु उक्त के बावजूद आलोच्य निर्णय में अपीलान्ट के विरूद्व गलत रूप से उचित मूल्य सामग्री गेहूं, चावल आदि का स्टॉक दर्शाया जा रहा है, जो तथ्य गौर श्रीमान है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अपीलान्ट के पास दिनांक 06.5.2022 को उचित मूल्य सामग्री का 5.28 क्वि. गेहूं स्टॉक में था, जो कि तत्समय अटेचमेन्ट डीलर शिवशंकर शर्मा को मातहत अधिकारी के आदेशानुसार संभलवा दिया था। दिनांक 01.1.2023 से 15.2.2023 तक की अवधि में उचित मूल्य सामग्री के वितरण के पश्चात दिनांक 21.2.2023 को मिन अपीलान्ट की अनुपस्थिति में सील की गई उचित मूल्य की दुकान में अपीलान्ट के स्टॉक में 123.58 क्वि. गेहूं था, जिस स्टॉक को संभलवाने के लिए अपीलान्ट के द्वारा समय समय पर मातहत जिला रसद अधिकारी, अलवर, एसडीएम रैणी, माननीय जिला कलक्टर, अलवर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किये एवं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार जन सुनवाई कार्यक्रम दिनांक 11.7.2024 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया। लेकिन उक्त के बावजूद प्रवतर्न निरीक्षक दिनेश चौबे की दुर्भावना के चलते ना तो अपीलान्ट का उक्त स्टॉक 123.58 क्वि. गेहूं जमा किया गया, ना ही अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाकर उचित मूल्य सामग्री के उठाव एवं वितरण वास्ते समुचित आदेश जारी किये गये। माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 02.7.2019 के पश्चात मिन अपीलान्ट द्वारा उचित मूल्य सामग्री के उठाव एवं वितरण का कार्य लगातार दिनांक 06.5.2022 तक किया जाता रहा है। माननीय न्यायालय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर के निर्णय दिनांक 13.4.2022 की आड़ में प्रवर्तन निरीक्षक श्री दिनेश चौबे द्वारा बिना किसी उच्च अधिकारी के आदेश के मनमाने रूप में अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान की उचित मूल्य सामग्री गेहूं को दिनांक 30.4.2022 को अपने चहेते उ.मू.दु. शिवशंकर, रैणी को डलवाया दिया और जिला रसद अधिकारी अलवर ने अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान का अटैचमेन्ट शिवशंकर शर्मा उ.मू.दु. रैणी को दिनांक 10.5.2022 को कर दिया गया है। माननीय न्यायालय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर के द्वारा अपीलान्ट की उचित मूल्य सामग्री के उठाव एवं वितरण को रोका नहीं गया है, केवल प्रकरण सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया है के बावजूद भी जिला रसद अधिकारी के द्वारा अपीलान्ट की उचित मूल्य सामग्री के उठाव एवं वितरण को बंद किया जाकर अटैचमेन्ट दिनांक 10.5.2022 को शिवशंकर शर्मा, उ.मू.दु. रैणी को किया गया है, जो गलत है, जो तथ्य गौर श्रीमान है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि जिला रसद अधिकारी, अलवर का निर्णय दिनांक 06.7.2024 प्रकरण सं. 14/2023 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र सं. 1351/2005 विधि विरूद्ध तरीके से निरस्त कर जमाशुदा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त राज्य सरकार किये जाने का निर्णय दिया गया है, वो निर्णय निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलान्ट (पॉस कोड सं. 12606) का प्राधिकार पत्र सं. 1351/2005 बहाल करते हुए उचित मूल्य दुकानदार 1/4 भाग, ग्राम पंचायत रैणी, तहसील रैणी, जिला अलवर (राज०) के उचित मूल्य सामग्री के उठाव एवं वितरण करने का आदेश एवं अन्य न्यायोचित आज्ञा व आदेश जो भी अपीलान्ट के पक्ष में माननीय उचित समझे प्रदान करने की कृपा करें।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि मुख्यमंत्री जनसंवाद के दौरान श्री सूरजमल शर्मा, उचित मूल्य दुकानदार रेणी एवं जीएसएस रैणी, तहसील रैणी के विरूद्ध अनियमितता बाबत शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत की जांच हेतु दिनांक 27.11.2017 को 4 सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया। जांच दल द्वारा दिनांक 27.11.2017 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें खाद्य सुरक्षा योजना का 85.10 क्वि० गेहूं व 342.50 लीटर केरोसीन का फर्जी ट्रॉजेक्शन कर गबन करना पाया गया। उक्त अनियमितताओं के मध्यनजर जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 28.11.2017 को श्री सूरजमल का प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक, रैणी द्वारा दिनांक 16.02.2018 को पुलिस थाना रैणी में डीलर के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट दर्ज संख्या 0043/2018 है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ 14 राशनकार्ड पुलिस थाना रेणी मे जमा करवाए गए जिनमे फर्जी ट्राजेक्शन पाया गया था, वर्तमान मे उक्त राशनकार्ड की जाँच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अलवर ग्रामीण द्वारा की जा रही है। जिला रसद अधिकारी के निर्णय दिनांक 05.03.2018 के द्वारा श्री सूरजमल का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। सूरजमल द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर न्यायालय में अपील की गई। जिसमें जिला कलक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 02.07.2019 में जिला रसद अधिकारी

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अलवर के निर्णय दिनांक 05.03.2018 को अपास्त करते हुए सूरजमल शर्मा का प्राधिकार पत्र बहाल कर दिया गया।

शिकायतकर्ता श्री मुरारी लाल शर्मा पुत्र श्री शिवदयाल शर्मा के द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर, अलवर के निर्णय के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, जयपुर के कार्यालय में पुनरीक्षण चाचिका जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 13.04.2022 में जिला लगाई गई। श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, जयपुर कलक्टर के निर्णय को अपास्त कर दिया गया। जिला रसद अधिकारी ने श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 13.04.2022 की पालना में दिनांक 18.04.2022 को डीलर सूरजमल की आपूर्ति एवं वितरण पर रोक लगा दी गई। श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 13.04.2022 के विरूद्ध सूरजमल शर्मा द्वारा उच्च न्यायालय जयपुर में अपील दायर की गई। उच्च न्यायालय ने एस०बी० सिविल रिट पिटीशन नम्बर 6931/2022 सूरजमल शर्मा बनाम अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं जिला कलक्टर अलवर में दिनांक 14.11.2022 को पारित निर्णय अनुसार डीलर सूरजमल की आपूर्ति बहाल की गई। जिससे संबंधित पत्रावली पूर्व से ही न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रवर्तन निरीक्षक, रैणी द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 09.03.2023 अनुसार समाचार पत्र में प्रकाशित खबर जिसमे सूरजमल के विरूद्ध जानलेवा हमले के प्रकरण में उसे जेल में निरूद्ध किया गया है, के आधार पर डीलर का प्राधिकार पत्र दिनांक 20.03.2023 को निलंबित कर दिया गया। साथ ही डीलर की पोस कोड 12606 में अवशेष स्टॉक अटेच डीलर श्री प्रवीण कुमार को संभलवाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त स्टॉक की मात्रा को संमलवाये जाने बाबत नोटिस जरिये तहसीलदार जारी किया गया, जिसको व्यक्तिगत रूप से डीलर श्री सूरजमल शर्मा द्वारा प्राप्त करने के बावजूद भी जानबूझकर अवशेष राशन सामग्री को अटेच डीलर श्री प्रवीण कुमार नहीं संभलवाया गया। उक्त डीलर को इस संबंध में बार–बार निर्देश जारी किए गए। डीलर का उक्त कृत्य राजकीय आदेशों की अवहेलना व राशन सामग्री की कालाबाजारी की स्थिति को प्रकट करने के मध्यनजर उक्त डीलर का विभागीय प्रकरण 14/2023 में निर्णय करते हुए दिनांक 06.07.2023 को इनका प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। जिसकी पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के न्यायालय में विचाराधीन है।

उक्त पोस मशीन संख्या 12606 में दर्ज अंतिम स्टॉक 25113.85 किग्रा गेहूं दिनांक 12.07.2024 तक नहीं संभलवाये जाने के संबंध में प्रवर्तन निरीक्षक, रैणी द्वारा निरस्त राशन डीलर सूरजमल शर्मा की उपस्थिति में पुनः जांच की गई। जांच रिपोर्ट अनुसार डीलर के तीनों गोदामों में रखा हुआ गेहूं खराब हो चुका था। दो गोदामों में रखा हुआ गेहूं सड़ गया है. बदबु दे रहा है तथा एक गोदाम के गेहूं में कीटाणु लग गये हैं जो कि खराब हो गया है तथा मानव एवं पशु आहार योग्य नहीं है। उचित मूल्य दुकानदार सूरजमल शर्मा से उक्त गेहूं के खराब होने के कारण के संबंध में पूछने पर बताया कि माह फरवरी 2023 के दौरान जब वह सामान्य चिकित्सालय, अलयर में भर्ती था, तब तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक अस्पताल में उसके पास आये और कहा कि मैं तेरी दुकान पर सील लगा आया हूं और किसी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करा लिये गये। दुकान पर सील लगाये जाने के कारण उसने दुकान नहीं संभाली। जबकि प्रवर्तन निरीक्षक, रैणी द्वारा दिनांक 12.07.2024 को श्री सूरजमल शर्मा की दुकान की जांच के दौरान दुकान पर सील होने बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं होना अवगत कराया है। इस संबंध में तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक, रैणी से पत्र के माध्यम से जवाब प्राप्त किया गया। प्राप्त रिपोर्ट में अवगत कराया कि उनके द्वारा सूरजमल शर्मा की दुकान पर सील नहीं लगाई गई एवं सूरजमल शर्मा द्वारा अटेच डीलर प्रवीण सेन को 26810.85 किग्रा गेहूं नहीं संभलवाये गये हैं। उक्त गेहूं अतिरिक्त श्री सूरजमल शर्मा की पोस कोड 12606 पर मार्च 2023 का 9826 किग्रा गेहूं जो कि खाद्य विभाग के मार्फत् चालान संख्या CHAW00011072967 दिनांक 24.02.2023 को भेजा गया था। वह गेहूं भी सूरजमल शर्मा द्वारा उठाव करने के बावजूद पोस मशीन में रिसीव नहीं किया। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

जिला ... कलक्टर
अलवर (राज०)

पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत रैणी, सूरजमल शर्मा पॉस कोड संख्या 12606 के प्राधिकार पत्र का समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर एवं प्रवर्तन निरीक्षक रैणी की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 09.03.2023 को निलम्बित किया गया साथ ही डीलर की पॉस कोड 12606 में अवशेष स्टॉक अटैच डीलर श्री प्रवीण कुमार को संभलवाने हेतु नोटिस जारी किया गया। जिसको व्यक्तिगत रूप से उचित मूल्य दुकानदार सूरजमल शर्मा द्वारा प्राप्त नहीं किया गया एवं जानबूझकर अवशेष राशन सामग्री को अटैच डीलर श्री प्रवीण कुमार को नहीं संभलवाया गया। इस संबंध में उचित मूल्य दुकानदार को बार–बार नोटिस जारी किये गये। उक्त पॉस मशीन संख्या 12606 में दर्ज अंतिम स्टॉक 25113.85 किग्रा गेंहू दिनांक 12.07.2024 तक नहीं संभलवाये जाने के संबंध में प्रवर्तन निरीक्षक रैणी द्वारा निरस्त राशन डीलर सूरजमल शर्मा की उपस्थिति में पुनः जांच की गई। जांच रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के अनुसार उचित मूल्य दुकानदार के तीनों गोदामों में रखा हुआ गेंहू खराब हो चुका था। दोनो गोदामों में रखा गेहूँ सड गया, बदबू दे रहा था, एक गोदाम के गेंहू में कीटाणू लग गये व खराब हो चुके हैं तथा मानव एवं पशु आहार योग्य नहीं हैं। उक्त संबंध में उचित मूल्य दुकानदार सूरजमल शर्मा से उक्त गेंहू खराब होने के कारण से संबंध में पूछने पर बताया कि माह फरवरी 2023 के दौरान जब वह सामान्य चिकित्सालय अलवर में भर्ती था तब तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक उसके पास आये और कहा कि मैं तेरी दुकान पर सील लगा आया हूं और इसी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करा लिये गये जबकि उक्त प्रवर्तन निरीक्षक रैणी द्वारा दिनांक 22.07.2024 की जांच रिपोर्ट में सूरजमल शर्मा की दुकान पर कोई सील होने बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली पर होना नहीं अवगत कराया एवं सूरजमल शर्मा द्वारा अटैच डीलर प्रवीण सैन को 25813.85 किग्रा गेंहू नहीं संभलवाये गये। वर्तमान में निरस्त उचित मूल्य दुकानदार श्री सूरजमल शर्मा की पॉस मशीन संख्या 12606 में 25113.850 क्रिगा गेहूँ प्रदर्शित हो रहा है। उक्त गेहूँ के स्टॉक के पेटे 8500 क्रिगा गेहूँ अटेच डीलर श्री प्रवीण सैन के पास उपलब्ध है। उक्त मात्रा 25113.850 क्रिगा में से 8500 क्रिगा गेहूँ कम करने पर 16613.850 क्रिगा गेहूँ एवं सूरजमल शर्मा द्वारा अपनी पोस मशीन में मार्च 2023 के पेटे भेजा गया गेहूं 9826 किग्रा जो कि दिनांक 24.02.2023 का सूरजमल शर्मा द्वारा उठाव किया गया था, उसे पोस मशीन में रिसीव नहीं किया गया, उपलब्ध होने के आधार पर सूरजमल शर्मा के नाम से कुल मिलाकर 26439.850 किग्रा गेहूं की रिकवरी विचाराधीन है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर उचित मूल्य दुकानदार सूरजमल द्वारा कुल 26439 किग्रा गेंहू का गबन की श्रेणी में आता है तथा यह राजस्थान खाद्य एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 व 20 तथा उक्त आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1,8,11 व 17सी एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.07.2023 को अपीलांट का प्राधिकार पत्र विधि अनुसार निरस्त किया गया है जिसमें न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी का निर्णय दिनांक 06.07.2023 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय मूल रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर,
अलवर (राज०)
अलवर राजस्थान